EAST CENTRAL RAILWAY

पूर्व मध्य रेल

EAST CENTRAL RAILWAY

PCPO's Sl.No.85/2019

No. E/227/O/ECR/HJP

Dated:- 16.05.2019

1. CAO (Con.)/ उत्तर एवं दक्षिण / पटना।
2. सभी PHOD/CHOD, पू.म.रे, हाजीपुर।
3. DRM/ पूमरे / मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
4. मुख्य कार्मिक अधिकारी / प्रशासन / पू.म.रे / हाजीपुर।
5. मुख्यालय के सभी कार्मिक अधिकारी।
6. CWM/ पीडी / मुगलसराय, यांत्रिक कारखाना / समस्तीपुर / हरनौत।
7. Sr.DPO/ पूमरे / मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
8. उप महाप्रबंधक / विधि / पटना।
9. प्राचार्य / क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान / मुजफ्फरपुर एवं भूली।
10. सभी मुकार्याधी / कार्याधी / पू.म.रे / हाजीपुर।

विषय : सेवा की तात्कालिक आवश्यकताओं में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पुनः नियुक्त करना।

संदर्भ : Railway's Boards Lt. No.ई(एनजी) I I / 2007 / आरसी–4 / कोर / 1

Dated: 27.03.2019

विषयांकित से संबंधित संदर्भित पत्र की छायाप्रति सूचना, मार्गदर्शन एवं अग्रेत्तर आवश्यक कार्रवाई हेतू प्रेषित की जा रही है।

A copy of above referred letter on the subject matter is being forwarded herewith for information guidance and needful onward action please.

संलग्नक : यथोपरि।

DA : As above.

30.5.19

(सौरभ सावर्ण)
वकाधि / ई.एस.एम
कृते महाप्रबंधक (कार्मिक) / हाजीपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू प्रेषित :–

1. महासचिव / ईसीआरकेयू / पू.म.रे. / हाजीपुर।
2. महासचिव / एस0.सी0. / एस0.टी0. / एशोसिएशन / पू.म.रे. / हाजीपुर।
3. सकाधि (एम.पी.पी.), पू.म.रे / हाजीपुर। कृपया इसे नेट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करें।
4. महासचिव / ओ.बी.सी.एशोसिएशन / पू.म.रे. / हाजीपुर।

महाप्रबंधक (प्रशासन) कार्यालय
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर

1 8 APR 2019

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

C67446
22 APR 2019

रेलवे बोर्ड का पत्र प्राप्ति सं० 02

सं.ई(एनजी)II/2007/आरसी-4/कोर/1 नई दिल्ली, दिनांक 27.3.2019

महाप्रबंधक (पी)
सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां

विषय:- सेवा की तात्कालिक आवश्यकताओं में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पुन: नियुक्त करना।

संदर्भ:- (i) सं. ई(एनजी)II/2007/आरसी-4/कोर/1 दिनांक 11.12.2009 (आरबीई सं.219/2009)
(ii) सं. ई(एनजी)II/2007/आरसी-4/कोर/1 दिनांक 16.10.2017 (आरबीई सं.150/2017)
(iii) सं. ई(एनजी)II/2007/आरसी-4/कोर/1 दिनांक 12.12.2018 (आरबीई सं.193/2017)

*****

आपका ध्यान बोर्ड के उक्त उल्लिखित पत्रों की ओर आकृष्ट किया जाता है, जो सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुन: नियुक्ति के तौर-तरीकों और उन्हें दिए जाने वाले पारिश्रमिक के संबंध में हैं। कुछ रेलों ने बोर्ड को सूचित किया है कि 16.10.2017 से पहले और बाद में पुन: नियुक्त किए गए कर्मचारियों की संशोधित दरों/पारिश्रमिक में असमानता संबंधी समस्या है। इस समस्या के बारे में एआईआरएफ पीएनएम की कार्यसूची की मद सं. 18/2018 में भी उल्लेख किया गया है। इस मामले की बोर्ड कार्यालय में सावधानीपूर्वक जांच की गई है और वित्त निदेशालय की सहमति से निम्नानुसार विनिश्चय किया गया है कि :

क) सभी कर्मचारी, जिन्होंने 16.10.2018 की स्थिति के अनुसार आरबीई सं.219/2009 के तहत विनिर्दिष्ट निबंधन एवं शर्तों के अनुसार दैनिक दरों पर एक वर्ष से अधिक समय तक कार्य किया है और वर्तमान में भी इसी प्रकार कार्यरत हैं, 16.10.2017 (आरबीई सं.150/2017) के परिपत्र के संबंध में 16.10.2018 से मासिक दर के पात्र होंगे। यह नीचे दिए गए (ख) के अध्यधीन है।

ख) जहां किसी पुन: नियुक्त कर्मचारी के मौजूदा ठेके में लिखित रूप से विनिर्दिष्ट किया गया हो कि विस्तारित अवधि एक वर्ष से अधिक समय तक वैध रहेगी और यह 16.10.2018 से आगे भी जारी रहेगी, तो ऐसी स्थिति में 2017 की दरों के अनुसार पात्रता में संशोधन केवल उस विस्तारित तारीख से ही स्वीकार्य होगा।

ग) तदनुसार, उपर्युक्त (क) और/अथवा (ख) के अनुसार यथा लागू संशोधित निबंधन एवं शर्तें तैयार की जाएंगी। संशोधित ठेके में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा कि इसकी वैधता एक वर्ष से अधिक नहीं होगी और लागू निबंधन एवं शर्तों के अनुसार इसका नवीकरण किया जा सकता है। अन्य सामान्य शर्तें (अधिकतम आयु सहित) इसी प्रकार लागू रहेंगी।

इससे पश्चिम मध्य रेलवे के दिनांक 04.09.2018 के पत्र सं. डब्ल्यूसीआर/वी-एचक्यू/कोम्प./2018/अगस्त/11 का निपटान हो जाता है।

प्रमुकाधि
मुकाधि प्रशा
मुकाधि/आईआर
उप मुकाधि/राज
उप मुकाधि/म
उप मुकाधि/आईआर
सकाधि
विधि अधिकारी

(नीरज कुमार)
निदेशक स्था. (एन)II
रेलवे बोर्ड

067445

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं. ई(एनजी)II/2007/आरसी-4/कोर/1 नई दिल्ली, दिनांक 27.3.2019

महाप्रबंधक (पी)
सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां

विषय:- सेवा की तात्कालिक आवश्यकताओं में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पुन: नियुक्त करना।

संदर्भ:- (i) सं. ई(एनजी)II/2007/आरसी-4/कोर/1 दिनांक 11.12.2009 (आरबीई सं.219/2009)
(ii) सं. ई(एनजी)II/2007/आरसी-4/कोर/1 दिनांक 16.10.2017 (आरबीई सं.150/2017)
(iii) सं. ई(एनजी)II/2007/आरसी-4/कोर/1 दिनांक 12.12.2018 (आरबीई सं.193/2017)

*****

आपका ध्यान बोर्ड के उक्त उल्लिखित पत्रों की ओर आकृष्ट किया जाता है, जो सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुन: नियुक्ति के तौर-तरीकों और उन्हें दिए जाने वाले पारिश्रमिक के संबंध में हैं। कुछ रेलों ने बोर्ड को सूचित किया है कि 16.10.2017 से पहले और बाद में पुन: नियुक्त किए गए कर्मचारियों की संशोधित दरों/पारिश्रमिक में असमानता संबंधी समस्या है। इस समस्या के बारे में एआईआरएफ पीएनएम की कार्यसूची की मद सं. 18/2018 में भी उल्लेख किया गया है। इस मामले की बोर्ड कार्यालय में सावधानीपूर्वक जांच की गई है और वित्त निदेशालय की सहमति से निम्नानुसार विनिश्चय किया गया है कि :

क) सभी कर्मचारी, जिन्होंने 16.10.2018 की स्थिति के अनुसार आरबीई सं.219/2009 के तहत विनिर्दिष्ट निबंधन एवं शर्तों के अनुसार दैनिक दरों पर एक वर्ष से अधिक समय तक कार्य किया है और वर्तमान में भी इसी प्रकार कार्यरत हैं, 16.10.2017 (आरबीई सं.150/2017) के परिपत्र के संबंध में 16.10.2018 से मासिक दर के पात्र होंगे। यह नीचे दिए गए (ख) के अध्यधीन है।

ख) जहां किसी पुन: नियुक्त कर्मचारी के मौजूदा ठेके में लिखित रूप से विनिर्दिष्ट किया गया हो कि विस्तारित अवधि एक वर्ष से अधिक समय तक वैध रहेगी और यह 16.10.2018 से आगे भी जारी रहेगी, तो ऐसी स्थिति में 2017 की दरों के अनुसार पात्रता में संशोधन केवल उस विस्तारित तारीख से ही स्वीकार्य होगा।

ग) तदनुसार, उपर्युक्त (क) और/अथवा (ख) के अनुसार यथा लागू संशोधित निबंधन एवं शर्तें तैयार की जाएंगी। संशोधित ठेके में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा कि इसकी वैधता एक वर्ष से अधिक नहीं होगी और लागू निबंधन एवं शर्तों के अनुसार इसका नवीकरण किया जा सकता है। अन्य सामान्य शर्तें (अधिकतम आयु सहित) इसी प्रकार लागू रहेंगी।

इससे पश्चिम मध्य रेलवे के दिनांक 04.09.2018 के पत्र सं. डब्ल्यूसीआर/वी-एसक्यू/कोम्प./2018/अगस्त/11 का निपटान हो जाता है।

(नीरज कुमार)
निदेशक स्था. (एन)II
रेलवे बोर्ड